



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 607]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 8, 2011/चैत्र 18, 1933

No. 607]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 8, 2011/CHAITRA 18, 1933

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2011

का.आ. 722(अ).—औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 5 की उप-धारा (1) और (2) के अनुसरण में तथा भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की दिनांक 2 फरवरी, 2007 की अधिसूचना संख्या का.आ. 105(अ) के अधिक्रमण में, केन्द्र सरकार एतद्वारा औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड (डीटीएबी) का पुनर्गठन करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं; अर्थात् :-

क्रम संख्या	सदस्य का नाम/पदनाम	डीटीएबी में स्थिति	औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा जिसके अंतर्गत नियुक्त/नामित/निर्वाचित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली	पदेन अध्यक्ष	अधिनियम की धारा 5(2)(i) के अंतर्गत नियुक्त
2.	औषध नियंत्रक (भारत)	पदेन सदस्य	अधिनियम की धारा 5(2)(ii) के अंतर्गत नियुक्त
3.	निदेशक, केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला, कोलकाता	पदेन सदस्य	अधिनियम की धारा 5(2)(iii) के अंतर्गत नियुक्त
4.	निदेशक, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली	पदेन सदस्य	अधिनियम की धारा 5(2)(iv) के अंतर्गत नियुक्त
5.	निदेशक, भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर	पदेन सदस्य	अधिनियम की धारा 5(2)(v) के अंतर्गत नियुक्त
6.	अध्यक्ष, भारतीय चिकित्सा परिषद्	पदेन सदस्य	अधिनियम की धारा 5(2)(vi) के अंतर्गत नियुक्त
7.	अध्यक्ष, भारतीय भेषज परिषद्	पदेन सदस्य	अधिनियम की धारा 5(2)(vii) के अंतर्गत नियुक्त

(1)	(2)	(3)	(4)
8.	निदेशक, केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	पदेन सदस्य	अधिनियम की धारा 5(2)(viii) के अंतर्गत नियुक्त
9.	डा. बी. आर. जगशेट्टी, औषध नियंत्रक, कर्नाटक	सदस्य	अधिनियम की धारा 5(2)(ix) के अंतर्गत नामित
10.	श्री सतीश गुप्ता, औषध एवं खाद्य नियंत्रक, जम्मू और कश्मीर	सदस्य	अधिनियम की धारा 5(2)(ix) के अंतर्गत नामित
11.	डा. के. चिन्नास्वामी, कोयम्बतूर, तमिलनाडु	सदस्य	अधिनियम की धारा 5(2)(x) के अंतर्गत निर्वाचित
12.	डा. ध्रुवज्योति बोरा, दिसपुर, असम	सदस्य	अधिनियम की धारा 5(2)(xi) के अंतर्गत निर्वाचित
13.	डा. बी.पी.एस. रेड्डी, सीएमडी, हीट्रो ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद	सदस्य	अधिनियम की धारा 5(2)(xii) के अंतर्गत नामित
14.	डा. एस.डी. सेठ, सलाहकार सीटीआरआई, राष्ट्रीय चिकित्सा सांख्यिकी संस्थान, आईसीएमआर	सदस्य	अधिनियम की धारा 5(2)(xiii) के अंतर्गत निर्वाचित
15.	डा. धरम प्रकाश, रोहिणी, दिल्ली-110085	सदस्य	अधिनियम की धारा 5(2)(xiv) के अंतर्गत निर्वाचित
16.	डा. सी. गोपालाकृष्णा मूर्ति, हैदराबाद-500038, आंध्र प्रदेश	सदस्य	अधिनियम की धारा 5(2)(xv) के अंतर्गत निर्वाचित
17.	डा. जे.के. राजवैद्य, सरकारी विश्लेषक, औषध जांच प्रयोगशाला, खाद्य एवं औषध प्रशासन, मध्य प्रदेश, भोपाल-462001	सदस्य	अधिनियम की धारा 5(2)(xvi) के अंतर्गत नामित
18.	श्री यतेश्वर राज मेहता, उप-निदेशक औषध जांच प्रयोगशाला, जयपुर (राजस्थान)	सदस्य	अधिनियम की धारा 5(2)(xvi) के अंतर्गत नामित

2. औषध नियंत्रक (भारत) बोर्ड के सदस्य-सचिव होंगे।

3. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को लागू होगी।

[फा. सं. एक्स. 19012/2/2009-डी एफ क्यू सी]

अरूण पंडा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 2011

S.O. 722(E).—In pursuance of sub-section (1) and (2) of Section 5 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare, No. S.O. 105(E), dated the 2nd February, 2007, the Central Government hereby reconstitutes the Drugs Technical Advisory Board (DTAB) consisting of the following members, namely:—

Sl. No.	Name/Official Designation of the Member	Status in DTAB	Section of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 under which appointed/nominated elected
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Director General, Directorate General Health Services, New Delhi	Chairman ex-officio	Appointed under Section 5(2)(i) of the Act
2.	Drugs Controller (India)	Member ex-officio	Appointed under Section 5(2)(ii) of the Act
3.	Director, Central Drugs Laboratory, Kolkata	Member ex-officio	Appointed under Section 5(2)(iii) of the Act
4.	Director, Central Research Institute, Kasauli	Member ex-officio	Appointed under Section 5(2)(iv) of the Act
5.	Director, Indian Veterinary Research Institute, Izatnagar, Bareilly, U.P.	Member ex-officio	Appointed under Section 5(2)(v) of the Act
6.	President, Medical Council of India	Member ex-officio	Appointed under Section 5(2)(vi) of the Act
7.	President, Pharmacy Council of India	Member ex-officio	Appointed under Section 5(2)(vii) of the Act
8.	Director, Central Drugs Research Institute, Lucknow	Member ex-officio	Appointed under Section 5(2)(viii) of the Act
9.	Dr. B. R. Jagashetty, Drugs Controller, Karnataka	Member	Nominated under Section 5(2)(ix) of the Act
10.	Shri Satish Gupta, Controller of Drugs and Food, Jammu & Kashmir	Member	Nominated under Section 5(2)(ix) of the Act
11.	Dr. K. Chinnaswamy, Coimbatore, Tamil Nadu	Member	Elected under Section 5(2)(x) of the Act
12.	Dr. Dhrubajyoti Bora, Dispur, Assam	Member	Elected under Section 5(2)(xi) of the Act
13.	Dr. B. P. S. Reddy, CMD, Hetero Drugs P. Ltd., Hyderabad	Member	Nominated under Section 5(2)(xii) of the Act
14.	Dr. S. D. Seth, Advisor, CTRI, National Institute of Medical Statistics, ICMR	Member	Elected under Section 5(2)(xiii) of the Act
15.	Dr. Dharam Prakash, Rohini, Delhi-110085	Member	Elected under Section 5(2)(xiv) of the Act
16.	Dr. C. Gopalakrishna Murty, Hyderabad-500038, Andhra Pradesh	Member	Elected under Section 5(2)(xv) of the Act
17.	Dr. J. K. Rajvaidya, Government Analyst, Drugs Testing Laboratory, Food & Drugs Administration, Madhya Pradesh, Bhopal-462001	Member	Nominated under Section 5(2)(xvi) of the Act
18.	Shri Yatendra Raj Mehta, Deputy Director, Drugs Testing Laboratory, Jaipur, (Rajasthan)	Member	Nominated under Section 5(2)(xvi) of the Act

2. The Drugs Controller (India) shall be the Member-Secretary of the Board.

3. This Notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F.No. X. 19012/2/2009-DFQC]

ARUN K. PANDA, Jt. Secy.